

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
उर्दू निदेशालय

اردو ڈائریکٹوریٹ، محکمہ کابینہ سکرٹریٹ، حکومت بہار

का०आ०संख्या-उ०नि०-76/2018.....20 / पटना, दिनांक.....05.2.19

**कार्यालय आदेश**

दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से वेतनपुनरीक्षण/उत्कर्मण के फलस्वरूप 'बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संघ' के कर्मियों को पूर्व में प्राप्त वित्तीय उन्नयन के हेतुनमान के पुनरीक्षण वेतन स्तर के संदर्भ में विभागीय स्तर पर विचाराधीन था। इस संदर्भ में विभागीय संचिका संख्या-उ०नि०-76/2018 द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना से स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की गयी थी। वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक को दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का वेतन स्तर निम्नवत् पुनरीक्षित किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	सातवें वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित मूल कोटीय वेतन स्तर	दिनांक-01.01.2016 को देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का निर्धारित वेतन स्तर			अभ्युक्ति
			प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक उर्दू अनुवादक	Level - 5	Level - 6	Level - 7	Level - 8	
2	उर्दू अनुवादक	Level - 6	Level - 7	Level - 8	Level - 9	

2. उपर्युक्त पुनरीक्षण के क्रम में निदेशानुसार यह ध्यान रखा जाए कि दिनांक-01.01.2016 के पूर्व प्राप्त आखरी वित्तीय उन्नयन का बिना कोई निर्धारण लाभ के पुनरीक्षण/उत्कर्मण किया जाएगा, न कि पूर्व में प्राप्त सभी वित्तीय उन्नयनों का पुनरीक्षण करते हुए दिनांक-01.01.2016 को वेतन निर्धारण किया जाएगा।

3. उक्त वेतन स्तर का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के आलोक में किया जायेगा। नियमानुसार वेतन निर्धारण का सत्यापन संबंधित कार्यालय से किया जाएगा। अन्य सभी नियम/प्रक्रिया तदनुसार अनुमान्य होंगे।

4. यदि भविष्य में वित्तीय उन्नयन के निर्धारण के पश्चात कम या अधिक राशि का भुगतान अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो तदनुसार उसकी भरपाई या वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

ह०/-

(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक।

ज्ञाप सं०-उ०नि०-76/2018..... /

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-


(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक।

ज्ञाप सं०-उ०नि०-76/2018.....136/

पटना, दिनांक- 05-2-19.....

- प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- बजट शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
5/2/19  
(इम्तियाज अहमद करीमी)  
निदेशक।